कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.- 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 50/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 05.02.2026

प्रेस–विज्ञप्ति

साइबर थाना, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 05.02.2026

NEXT TRADE नामक फर्जी ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से की जा रही ऑनलाइन ठगी का बड़ा खुलासा

अब तक की जांच में उक्त गिरोह द्वारा लगभग ₹01 करोड़ की साइबर ठगी किये जाने का तथ्य प्रकाश में आया है। साथ ही देशभर से इस संबंध में लगभग 12 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

बैंक कर्मियों की संलिप्तता उजागर, फर्जी सिम व म्यूल खातों से संचालित था साइबर अपराध नेटवर्क

उज्जैन–इंदौर से जुड़े दो अन्तर्राज्यीय शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से *03 अदद मोबाइल फोन मय सिम कार्ड , 3 अदद एटीएम कार्ड , 02 अदद चेक बुक , 01 अदद बैंक आईडी , 1 अदद जिओ सिम कार्ड , नगद 870 rs बरामद*

डॉ० अनिल कुमार, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशन में, **अपर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री विवेक त्रिपाठी** के कुशल पर्यवेक्षण एवं **क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम श्रीमती आस्था जायसवाल** के मार्गदर्शन में **थाना साइबर क्राइम आजमगढ़** पुलिस टीम को साइबर अपराध के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत **एक बड़ी सफलता** प्राप्त हुई है।

थाना साइबर क्राइम आजमगढ़ पर पंजीकृत **मु०अ०सं० 29/2025**, धारा **318(4), 319(2) BNS एवं 66D IT Act** के अंतर्गत ***NEXT TRADE*** नामक फर्जी ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से की जा रही संगठित ऑनलाइन ठगी का पर्दाफाश करते हुए **02 अन्तर्राज्यीय शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आवेदक **श्री अशोक कुमार अग्रवाल**, पुत्र **कृष्ण कुमार अग्रवाल**, निवासी बदरका, थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि उन्होंने फेसबुक पर *NEXT TRADE* का विज्ञापन देखकर दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया। अभियुक्तों द्वारा ट्रेडिंग में अधिक लाभ का लालच देकर ***NEXT TRADE* नामक फर्जी ऐप का लिंक** भेजा गया तथा उसमें धनराशि निवेश करने को कहा गया। विश्वास में आकर आवेदक द्वारा कुल **₹8,99,000/-** की धनराशि जमा कर दी गई। प्रारंभ में ऐप पर मुनाफा दर्शाया गया, किंतु जब आवेदक ने धनराशि निकासी का प्रयास किया तो निकासी संभव नहीं हुई। तत्पश्चात उनकी आईडी ब्लॉक कर दी गई, जिससे उनके साथ साइबर फ्राड होने की पुष्टि हुई।

गिरफ्तारी का विवरण / अनावरण-

मुकदमे की विवेचना के दौरान बैंक खातों, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों की लोकेशन एवं तकनीकी जांच के आधार पर दिनांक **03.02.2026** को थाना **साइबर क्राइम आजमगढ़ पुलिस टीम** द्वारा **02 अन्तर्राज्यीय शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार** किया गया। बरामदगी व पूछताछ के आधार पर मुकदमे में **धारा 111(1) BNS** की बढ़ोत्तरी की गई है।

अपराध करने का तरीका-

पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि उनका एक संगठित गिरोह है, जो ट्रेडिंग के नाम पर लोगों को *NEXT TRADE* ऐप डाउनलोड कराकर धनराशि निवेश कराता था। प्राप्त धनराशि को **म्यूल बैंक खातों** में ट्रांसफर कराया जाता था। इस गिरोह में **कुछ बैंक कर्मियों की भी संलिप्तता** सामने आई है, जो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पहले से हस्ताक्षरित **ब्लैंक चेक** उपलब्ध कराते थे। जैसे ही खातों में धनराशि आती थी, उसे तत्काल चेक के माध्यम से निकाल लिया जाता था। खातों के लेन-देन का पूरा हिसाब रखा जाता था। अब तक की जांच में इस गिरोह द्वारा **लगभग ₹01 करोड़** की साइबर ठगी किए जाने के तथ्य प्रकाश में आए हैं। देशभर से **लगभग 12 शिकायतें** प्राप्त हुई हैं, जिनकी जांच कर संबंधित पीड़ितों को सूचित किया जाएगा।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. **इन्द्रजीत डे** पुत्र स्व० देवाशीष डे, स्थाई निवासी – A-69, द्वितीय तल, पांडव नगर, ईस्ट दिल्ली, वर्तमान पता – 161 अन्नपूर्णा नगर, थाना नानाखेड़ा, जनपद उज्जैन (म०प्र०)
2. **अंकेश धाकड़** पुत्र रामहेत धाकड़, स्थाई निवासी – जगतपुर, कोलारस, शिवपुरी (म०प्र०), वर्तमान पता – 29/05 अहिल्यापुरी, थाना भंवरकुआं, इंदौर (म०प्र०) **यह कोटक महिन्द्रा बैंक इंदौर में कार्यरत था।**

बरामदगी का विवरण-

1. 03 अदद मोबाइल फोन मय सिम कार्ड
2. 03 अदद एटीएम कार्ड
3. 02 अदद चेक बुक
4. 01 अदद बैंक आईडी
5. 01 अदद जियो सिम कार्ड
6. नगद ₹870/-

वांछित / फरार अभियुक्त

1. **गोपाल भदौरिया** – कोटक बैंक कर्मी
2. **माधव**
3. **रॉकी**
4. **प्रीतम** – यस बैंक कर्मी

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक **देवेन्द्र प्रताप सिंह**, थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़
2. उपनिरीक्षक **योगेन्द्र प्रसाद,** थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़
3. का० **महिपाल यादव,** थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़
4. का० **एजाज खान,** थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़
5. का० **सभाजीत मौर्य,** थाना साइबर क्राइम, आजमगढ़

जनहित में साइबर सुरक्षा सलाह (.APK फाइलों से बचाव)

- केवल आधिकारिक ऐप स्टोर (Google Play Store, Samsung Galaxy Store) से ही ऐप डाउनलोड करें।
- तृतीय-पक्ष वेबसाइटों अथवा अनाधिकृत लिंक से .APK फाइल डाउनलोड न करें।
- WhatsApp या सोशल मीडिया से प्राप्त ऐप लिंक पर क्लिक करने से बचें।
- ऐप इंस्टॉल करते समय उसकी अनुमतियों की सावधानीपूर्वक जांच करें।
- संदिग्ध ऐप पाए जाने पर तुरंत अनइंस्टॉल करें।
- आवश्यकता पड़ने पर डिवाइस को सेफ मोड में रिबूट कर पूर्ण सिस्टम स्कैन कराएं।
- अंतिम विकल्प के रूप में बैकअप लेकर फैक्ट्री रीसेट करें।

प्रेस–नोट

थाना– बरदह | जनपद– आजमगढ़

कूटरचना व धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से जमीन का बैनामा कराने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास–

दिनांक 07.12.2025 को डाक पेशी पैड के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना-पत्र एवं संलग्न आदेश के आधार पर अभियोग पंजीकरण हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय, आजमगढ़ के आदेशानुसार थाना बरदह पर मुकदमा पंजीकृत किया गया।

आवेदिका रिंकू उर्फ रिंकी यादव पुत्री स्व0 लक्षिराम यादव, निवासी ग्राम सद्दोपट्टी, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ द्वारा प्रार्थना-पत्र में बताया गया कि उनके पिता की मृत्यु के उपरान्त विपक्षीगणों द्वारा कूटरचना एवं धोखाधड़ी करते हुए उनके पिता को वसीयत के माध्यम से निःसंतान (नावाल्द) घोषित कर फर्जी तरीके से उनकी जमीन अपने नाम करवा ली गई। जब आवेदिका द्वारा इस सम्बन्ध में पूछताछ की गई तो विपक्षीगणों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई।

उक्त प्रार्थना-पत्र के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0 386/25, धारा 419, 420, 467, 468, 471, 506 भादवि बनाम पतिराम पुत्र कुन्दन, सतिराम पुत्र कुन्दन, वंशराजी पत्नी बाबूराम, सुनील, दुर्गा, विशाल पुत्रगण बाबूराम निवासीगण ग्राम सद्दोपट्टी, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण–

दिनांक 05.02.2026 को उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल मय हमराह द्वारा अभियुक्त पतिराम यादव पुत्र स्व0 कुद्दन उर्फ रामनाथ, निवासी ग्राम बौवापार, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ को उसके घर से समय 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

1-पतिराम यादव पुत्र स्व0 कुद्दन उर्फ रामनाथ, निवासी– ग्राम बौवापार, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास–

1-मु0अ0सं0 386/25 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 506 भादवि थाना बरदह, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम–

उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद पटेल, थाना बरदह, आजमगढ़

हे0का0 नागेन्द्र कुमार पटेल, थाना बरदह, आजमगढ़

का0 (नाम), थाना बरदह, आजमगढ़